भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture
रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ–226101 (भारत)
Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226101 (India)
Phone: (O)2841022, 2841024; Fax: 0522-2841025
Web Site www. cish.res.in; E-mail- cish.lucknow@gmail.com

फा. सं. 5–67/2018–19/क्रय/2797-02 **स्पीड पोस्ट** दिनांक 05.11.2018

15

सेवा में,

____
____
____

विषयः– Power Tiller, 01 No. सीमित निविदा के तहत क्रय करने के सम्बंध में।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि One No. Power Tiller क्रय करने हेतु, सीमित निविदा इनक्वारी के तहत **दिनांक 07.12.2018 को प्रातः 11:00 बजे** तक सीमित निविदा आमंत्रित किये जाते हैं, प्राप्त निविदायें **दिनांक 07.12.2018 को प्रातः 12:00 बजे** संस्थान में खोली जायेंगी। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि संलग्न निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक कागजात के साथ रू.3000/–(रूपये तीन हजार मात्र) की ई.एम.डी. बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में **ICAR Unit-CISH Lucknow** के पक्ष में बनवाकर संलग्नक कर भेजने की कृपा करें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। समस्त प्रकार के अधिकार जैसे–सीमित निविदा इनक्वारी आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने आदि के सभी अधिकार निदेशक महोदय के पास सुरक्षित रहेंगे। अन्य शर्ते सीमित निविदा इनक्वारी में निहित है। सीमित निविदा भेजे जाने वाली फर्मों के अतिरिक्त अन्य कोई भी फर्म सीमित निविदा में भाग ले सकती है।

नोटः– पूर्व में जिस फर्म द्वारा सीमित निविदा भरी गयी है, उस फर्म को पुनः सीमित निविदा भर कर भेजने की आवश्यकता नहीं है।

निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक हैः–

1. पैन कार्ड की प्रतिलिपि।
2. जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या की प्रतिलिपि।
3. उपकरण से सम्बंधित प्रिन्टेड लिटरेचर बुक यदि कोई हो।
4. उपकरण का प्रयोग करने वालों के नाम व पते, जिसमें फर्म द्वारा यह उपकरण पूर्व में आपूर्ति की गयी हो।
5. रू.3000/–(रूपये तीन हजार मात्र) की ई.एम.डी. बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में **ICAR Unit-CISH Lucknow** के पक्ष में बनवाकर संलग्नक करें।

भवदीय

आर.एन. मलिक
05.11.2018

संलग्न– Annexure-I & II

(आर.एन. मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. प्रभारी एरिस/कम्प्यूटर, सेल के.उ.बा. संस्थान, लखनऊ से अनुरोध है कि सीमित निविदा इनक्वारी संस्थान की वेबसाइड पर अपलोड करने की कृपा करें।
2. नोडल अधिकरी, सी.पी.पी. पोर्टल, के.उ.बा. संस्थान, लखनऊ से अनुरोध है कि सीमित निविदा इनक्वारी सी.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करने की कृपा करें।

Annexure-I

नियम एवं शर्तेः–

1. एफ.ओ.आर. शर्त के अन्तर्गत सामान की सुपुर्दगी का स्थल के.उ.बा.संस्थान रहमानखेडा, काकोरी लखनऊ होगा। फर्म उपरोक्त लिखित पते पर अपने खर्च से सामानों/वस्तुओं की आपूर्ति करेगी। माल भेजते समय मार्ग में किसी भी प्रकार के नुकसान की जिम्मेदारी फर्म की होगी। यदि फर्म चाहे तो सामान की आपूर्ति व्यक्तिगत रूप से संस्थान में करा सकती हैं, जो स्वीकार कर ली जायेगी है।

2. संस्थान के पास आदेश के अन्तर्गत मंगाये गये सामान की आपूर्ति से पूर्व किसी भी स्तर पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। आदेश पत्र के अन्तर्गत मगाये गये सामान की आंशिक आपूर्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक की इस पर इस आशय की सहमति न हुई हो। शर्तें सीमित निविदा/कोटेशन के अनुसार लागू मानी जायेंगी।

3. सभी प्रकार के करों के भुगतान की जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म के आपूर्ति बिल का भुगतान आर.टी.जी.एस /एन.ई.एफ.टी. द्वारा किया जायेगा। बैंक विवरण बिल के साथ भेजने का कष्ट करें।

4. सीमित निविदा में दी गयी दरों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

5. निर्धारित तिथि के उपरान्त सामान की आपूर्ति करने पर नियमानुसार प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। जो कि कुल क्रय मूल्य सामान अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

6. एक फर्म सामान के लिए एक से अधिक सीमित निविदा/कोटेशन नहीं दे सकती है।

7. जो सीमित निविदा/कोटेशन निर्धारित समय तक प्राप्त होंगी केवल वही सम्मिलित की जायेंगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा/कोटेशन सम्मिलित नहीं की जायेंगी। इसके लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।

8. फर्म सीमित निविदा/कोटेशन फार्म भरते समय सभी पृष्ठों/पेपरों पर फर्म द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

9. ई.एम.डी. बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. पर किसी प्रकार का ब्याज संस्थान द्वारा देय नहीं होगा।

10. मूल्य बोली निर्धारित फार्म में भरा जाना है। मूल्य वैधता 120 दिन तथा आपूर्ति अवधि 30 दिन होगी।

11. क्रेता द्वारा प्राप्त सभी सीमित निविदा/कोटेशन को तुलनात्मक जांच करके जो नियम संगत सही पाये जायेंगे तथा जिनके मूल्य उचित पाये जायेंगे उन्हीं से क्रय आपूर्ति की जा सकती है।

12. सामान की आपूर्ति करने वाली फर्म को वारंटी अवधि के लिए नियमानुसार क्रय मूल्य का 10 प्रतिशत परफार्मेन्स सिक्योरिटी के रूप में बी.जी./एफ.डी.आर. ICAR Unit-CISH Lucknow के पक्ष में बनवाकर जमा करना होगा। जिस पर संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। वारंटी अवधि के पश्चात भी परफार्मेन्स सिक्योरिटी की वैधता 60 दिनों तक अतिरिक्त होनी चाहिए।

13. यह उपकरण संस्थान के अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोग किया जायेगा तथा इसे पुनः विक्रय एवं कॉमर्शियल उपयोग हेतु नहीं प्रयोग किया जाना है। यह संस्थान भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली के अन्तर्गत अनुसंधान काय्र के लिए उपकरण आदि क्रय करने हेतु for purpose of availing customs duty exemption in terms of Govt. Notification No.51/96 customs dated 23.07.1996 as amended from time to time for research purposes only. The Registration No. TU/V/RG-CDE(618)/2017 dated 21.11.2017 valid up to 31.08.2022. However custom duty exemption certificate shall be provided if required. No form C&D for sale tax will be issued.

Annexure-II

मूल्य भरने का प्रोफार्मा

क. सं.	वस्तु/सामान का नाम एंव विवरण	आपेक्षित संख्या	कुल रूपये
1.	Power Tiller Specification: 1. Single cylinder horizontal. 2. Water cooled. 3. D.I. diesel engine with 10 to 13 hp. 4. Minimum vibration. 5. One Year warranty. 6. Max torgue RPM 1300 ± 100	01	
	Tax if any Rs.		
	Total rupees on F.O.R. basis at ICAR-CISH, Lucknow inclusive all taxes Total Rs.		

F.O.R. के आधार पर कुल रूपये शब्दों में–...

उपरोक्त सीमित निविदा के तहत क्रय किये जाने वाले सामान की आपूर्ति नियम एवं शर्तों के अनुसार सहमति है।

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर–

नाम–...

पता–...

मो. नं.–..

ई–मेल–...

फर्म की मोहर–...

दिनांक–...........................

---------**********---------